



2026:AHC:50648-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4547 वर्ष 2026

कविता पाल और 7 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रसून कुमार, राजेश कुमार गौड़

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी. ए., राजेश कुमार पाल

कोर्ट नंबर - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं , साथ ही उन्हें बेहतर विवरणों के साथ एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी दी जाए।
3. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता को भी उपर्युक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त को देखते हुए, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव,) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,)

12 मार्च, 2026

नदीम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।